सत्यमेव जयते

बिहार पंचायत निर्वाचन, 2021

आदर्श आचार संहिता

प्रभावी

- पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत की तिथि से जिला के अंतिम चरण के विधिवत् रूप से परिणाम घोषणा तक सभी जिलों के पंचायत निकाय क्षेत्रों में।

अभ्यर्थी का सामान्य आचरण

- धर्म, सम्प्रदाय, जाति के भावना को ठेस नहीं।
- धार्मिक, जातीय, भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं।
- उपासना स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार हेतु नहीं।
- किसी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं, आलोचना उसकी नीति और कार्य तक सीमित रहे।
- मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय से 48 घंटा पूर्व कोई प्रचार नही।

Contd....

अभ्यर्थी का सामान्य आचरण

- कोई ऐसा कार्य न करें, जो पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अपराध हो, यथा –

(i) पोस्टर, ईश्ताहार, पैम्पलेट आद पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम न होना।

(ii) किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत आचरण और चरित्र संबंधी समाचार का प्रकाशन, जो मिथ्या हो।

(iii) चुनाव सभा में गड़बड़ी करना।

Contd....

अभ्यर्थी का सामान्य आचरण

(iv) मतदाता को रिश्वत/पारितोषिक देना।

(v) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार।

(vi) मतदाता को बूथ पर ले जाने के लिए वाहन का प्रयोग।

(vii) मतदान केन्द्र में या आसपास विच्छृखंल आचरण।

(viii) मतदाता का प्रतिरूपण।

- गैर कानूनी शराब का वितरण, क्रय अवैध।

Contd....

अभ्यर्थी का सामान्य आचरण

- किसी की निजी सम्पत्ति (भवन, भूमि, दीवार आदि) का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने या नारा लिखने आदि चुनाव प्रचार कार्य के लिए नहीं।
- सार्वजनिक सम्पत्ति का उपयोग सर्वथा वर्जित है।
- अभ्यर्थी अपने आवास/कार्यालय/प्रचार वाहन पर झंडा, बैनर आदि का उपयोग कर सकता है।

Contd....

अभ्यर्थी का सामान्य आचरण

- निर्वाची पदाधिकारी को जानकारी देकर प्रचार हेतु कार्यालय खोल सकता है।
- निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मी के साथ पूर्ण सहयोग।
- किसी राजनैतिक दल के नाम या झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार नहीं।
- डाकबंगला, परिसदन आदि का प्रयोग चुनाव कार्य हेतु नहीं।

Contd....

सभा

- सक्षम पदाधिकारी (निर्वाची पदाधिकारी) से अनुमति लेना है।
- स्थानीय पुलिस को सूचना ताकि विधि व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था।
- लाउडस्पीकर प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक।
- अनुमंडल पदाधिकारी के बिना अनुमति के इसके प्रयोग पर Asst. Sub Inspector या इसके उपर का कोई पुलिस अधिकारी इसे जब्त कर सकता है।
- किसी व्यक्ति द्वारा विघ्न डालने पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी की सहायता प्राप्त करना।
- कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन।

State Election Commission, Bihar.

नुक्कड़ सभा

- निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति आवश्यक है।
- सूचना निर्वाची पदाधिकारी एवं स्थानीय पुलिस को।
- लाउडस्पीकर का उपयोग उपर वर्णित तरीके से।
- कोविड–19 प्रोटोकॉल का अनुपालन।

सत्यमेव जयते
State Election Commission, Bihar.

जुलूस

- अनुमति निर्वाची पदाधिकारी द्वारा।
- जुलूस का उद्‌गम, रूट, समय, समाप्ति आदि की सूचना निर्वाची पदाधिकारी को तथा स्थानीय पुलिस को।
- अनुमति प्राप्त होने के बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जुलूस निकालना।
- जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए
- उस क्षेत्र या मार्ग से जुलूस नहीं निकलेगा, जिधर प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू है।

Contd....

जुलूस

- एक समय एक मार्ग पर एक से अधिक अभ्यर्थी के जुलूस निकलने की स्थिति में आपस में समन्वय कर अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- जुलूस के साथ प्रतिबंधित चीजों यथा–लाठी, हथियार, आदि लेकर चलना प्रतिबंधित है।
- कोविड–19 प्रोटोकॉल का अनुपालन।

नाम निर्देशन

- कोविड–19 का अनुपालन
- कोविड–19 संबंधी सावधानी
  - Social Distancing
  - Use of Face Mask
  - Use of Hand Sanitizer

नोट :

1. निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उल्लंघन की दशा में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा आई0पी0सी0 की धारा 188 के तहत कार्रवाई।

मतदान के दिन

- मतदान केन्द्र पर कोई व्यवधान नहीं
- सभी कार्यकर्त्ताओं (प्राधिकृत) को पहचान पत्र देना।
- पहचान पर्ची सादा कागज पर जिसपर केवल निर्वाचक का विवरण हो।
- मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर न कोई प्रचार, न झगड़ा, न कोई तनाव अनुमान्य है।
- प्रत्याशी के शिविर में कोई पोस्टर, प्रचार सामग्री नहीं। किसी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।
- सक्षम पदाधिकारी से परमिट प्राप्त कर वाहन का प्रयोग।

सरकारी विभाग एवं कर्मियों के लिए

(क) पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए :–

- बिल्कूल निष्पक्ष रहें
- किसी मंत्री के निजी मकान पर आयोति किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेना है।
- सभा आदि की अनुमति में भेद–भाव नहीं। प्राथमिकता सबसे पहले आवेदन देने वाले को देनी है।
- सरकारी भवन/परिसर का चुनाव प्रचार/बैठक हेतु अनुमति नहीं
- पंचायत के पदधारी (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) के साथ क्षेत्रीय भ्रमण में नहीं रहना है (प्राकृतिक प्रकोप/घटना छोड़कर)।

Contd....

सरकारी विभाग एवं कर्मियों के लिए

(ख) सरकारी विभागों के लिए :–

पदस्थापन / स्थानान्तरण

- RO/ARO/DEO/DyEO के पदस्थापन / स्थानान्तरण पर रोक रहेगी।
- निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी रोक रहेगी।
- मेडिकल / पारामेडिकल / आपातकालीन सेवा से जुड़े पदाधिकारी / कर्मी के स्थानान्तरण पर रोक नहीं।

नोट : यदि प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण आवश्यक हो तो सक्षम पदाधिकारी आयोग से पूर्वानुमति प्राप्त करेगा।

Contd....

सरकारी विभाग एवं कर्मियों के लिए

(ग) वाहन के उपयोग पर प्रतिबंध :–

- सरकार, सरकार के उपक्रम/प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, सहकारी संस्था, सरकार से अनुदान प्राप्त करनेवाली संस्था के वाहन का उपयोग उम्मीदवार के हित में नहीं होगा। ऐसे वाहन सांसद/विधायक/मंत्री/पंचायत के पदधारक या उम्मीदवार को उपलब्ध नहीं कराना है।
- चुनाव प्रचार हेतु सरकारी वाहन का उपयोग भुगतान के आधार पर भी मान्य नहीं है।

Contd....

सरकारी विभाग एवं कर्मियों के लिए

(घ) विकास योजनाओं का क्रियान्वयन :–

- **नवीन योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन पर रोक :**

(i) पंचायती राज संस्था द्वारा कार्यान्वित योजनायें, यथा– 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना'/'मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना'/15वें वित्त आयोग से प्राप्त निधि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनायें/ ग्रामीण क्षेत्र में सोलर लाईट योजना

यदि पूर्व से स्वीकृत है और योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उस पर रोक नहीं

'लेकिन'

नये सिरे से स्वीकृति अथवा स्वीकृति प्राप्त योजना का कार्य प्रारंभ पर रोक होगा।

Contd....

सरकारी विभाग एवं कर्मियों के लिए

(ii) जिन योजना में पंचायती राज प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका हो जैसे–प्रधानमंत्री आवास योजना, उपर्युक्त आधार पर प्रारंभ/क्रियान्वयन नहीं होगा।

(iii) किसी विशेष समुदाय के लिए छात्रावास, विद्यालय या अन्य प्रकार की कल्याणकारी योजनायें, सामान्य विकास योजनाओं के तहत नहीं आयेंगी परंतु निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य विकास योजनाओं यथा–सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, महिला एवं बालकल्याण आदि के क्रियान्वयन, शिलान्यास अथवा उद्‌घाटन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

Contd....

सरकारी विभाग एवं कर्मियों के लिए

(iv) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन पर प्रतिबंध।

(v) सांसद/विधायक निधि से नयी योजना की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन पर प्रतिबंध।

(vi) सांसद/विधायक द्वारा सहायता/अनुदान का आश्वासन भी नहीं देना है।

Contd....

सरकारी विभाग एवं कर्मियों के लिए

योजनायें जिन पर रोक नहीं :–

- राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग का कार्य
- मनरेगा अंतर्गत कार्य, परन्तु जब तक चालू योजना में कार्य दिया जा सकता है तब तक कोई नई योजना सक्षम प्राधिकार द्वारा आरंभ नहीं की जा सकेगी। सक्षम प्राधिकार भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) से स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
- अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त योजनायें।

Contd....

सरकारी विभाग एवं कर्मियों के लिए

योजनायें जिन पर रोक नहीं :–

- आपात योजनायें।
- सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण का कार्य।
- विकास योजना से संबंधित निविदा का आमंत्रण तथा निस्तारण।
- केन्द्र और राज्य सरकार की योजनायें जिनमें पंचायत राज संस्था की भूमिका नहीं है।

Contd....

सरकारी विभाग एवं कर्मियों के लिए

(ङ) सरकारी विज्ञापन :–

- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सरकारी खर्च पर किसी प्रकार का विज्ञापन का प्रकाशन नहीं।

Contd....

State Election Commission, Bihar.

सरकारी विभाग एवं कर्मियों के लिए

(च) मंत्री/विधायक/सांसदों की यात्रा

- चुनावी और सरकारी यात्रा बिल्कुल अलग होगी
- मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्त्ता के रूप में अपनी हैसियत के सिवाय मतदान केन्द्र या मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेंगे।
- प्रतिनियुक्त सुरक्षाबल मतदान केन्द्र परिसर के बाहर रहेंगे।
- परिसदन/निरीक्षण भवन का उपयोग निर्वाचन कार्य हेतु नहीं
- सार्वजनिक उपक्रम में ऐसी कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं करेंगे, जो किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत को प्रभावित करे।

Contd....

THANKS

State Election Commission, Bihar.